(ढी) "निधि" का अर्थ है "मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि"।

(ई) "विभाग प्रमुख" का अर्थ है किसी विभाग का प्रमुख, जैसा कि म.प्र. वित्तीय नियम खण्ड एक के प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है।

(एफ) "अवकाश" का अर्थ है सेवा नियमों अथवा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बनाये गये तथा अंशदाताओं पर लागू किये गये किसी भी नियम समूह के अन्तर्गत अवकाश।

(जी) "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त कोई भी अभिव्यक्ति या तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का XIX) अथवा ऐसा नियमों में जैसी परिभाषित है, उसे वैसा ही परिभाषित अर्थों में ही प्रयुक्त किया गया है।

(3) इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सामान्य भविष्य निधि के अब तक के अस्तित्व को समाप्त करने के लिये प्रभावशील मान लिया जाए अथवा कोई नई निधि गठित की जाए।

निधि का गठन

3. निधि राज्य शासन द्वारा प्रबंधित होगी तथा तथा रुपयों में रखी जायगी।

निधि में अभिदान करने की पात्रता

4. वे जो ठेके पर रखे गये हैं या पुनर्नियुक्ति पर हैं, के वर्जन के साथ, शासकीय सेवक, जिनकी सेवा शर्तें तय करने के लिये मध्यप्रदेश की सरकार सक्षम है, निधि में अभिदान करने के पात्र होंगे:

परन्तु ये नियम उन शासकीय सेवकों को लागू नहीं होंगे जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवाओं अथवा पदों पर 1 जनवरी, 2005 को अथवा उसके पश्चात् या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से नियुक्त किये गये हैं।

टिप्पणी- इस नियम के प्रयोजनार्थ एक शिशिक्षु जो शिष्यवृत्ति प्राप्त करता है, शासकीय सेवक नहीं होगा, जबकि परिवीक्षाधीन व्यक्ति शासकीय सेवक होगा।

5. वे समस्त शासकीय सेवक जो नियम 4 के अधीन निधि में अभिदान देने के लिये पात्र हैं, निधि के अनिवार्य अभिदाता होंगे :

परन्तु राज्य शासन शासकीय सेवकों के किसी विशिष्ट वर्ग को इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त कर सकता है।

टिप्पणी- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आहरण अधिकारी की होगी कि समस्त अनिवार्य अभिदाता निधि में अभिदान इन नियमों के अधीन निर्धारित दर से न्यूनतम से कम नहीं दे रहे हैं।

6. (अधिसूचना क्रमांक जी-25/31/95/सी/चार, दिनांक 15-4-96 द्वारा विलोपित)

7. (अधिसूचना क्रमांक जी-25/31/95/सी/चार, दिनांक 1-3-96 द्वारा विलोपित)

नाम निर्देशन

8. (1)(क) सामान्य भविष्य निधि का प्रत्येक अभिदाता निधि में सम्मिलित होते ही, यथासंभव शीघ्र उस रकम को जो कि निधि में उसके खाते में जमा होगी, देय हो जाने के पूर्व या देय हो जाने पर, उसे प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त करते हुए एक नामनिर्देशन कार्यालय को देगा:

बशर्ते कि नामनिर्देशन करते समय यदि अभिदाता का परिवार है तो, नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी- किसी अभिदाता द्वारा उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (अर्थात् "माता" तथा "भाई" जो इन नियमों में यथा परिभाषित शब्द "परिवार" में सम्मिलित नहीं हैं) के पक्ष में किये गये किसी नामनिर्देशन के लिये मंजूरी, यदि उपरोक्त नियम को शिथिल कर उस दशा में दी गयी हो जबकि उसके परिवार के सदस्य जीवित हों, तो वह मंजूरी निष्प्रभावी होगी और नामनिर्देशित व्यक्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का हकदार नहीं होगा (देखिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का पत्र क्र. '209-ए-350-53, 16 फरवरी, 1954 जो कि महालेखाकार के पृष्ठांकन क्र. एफ. डी. 14229, दिनांक 26 मार्च, 1954, रजि. क्र. 946-आर छह तीन, दिनांक 30 मार्च, 1954 के अधीन प्राप्त हुआ)

(ख) कार्यालय प्रमुख नामनिर्देशन अभिप्राप्त करेगा तथा उसे स्वीकार करेगा और अंशदाता की सेवा पुस्तिका में नामनिर्देशन की प्राप्ति तथा स्वीकार किये जाने के बारे में (नामनिर्देशन के ब्यौरों के बिना) यथोचित प्रविष्टि करेगा, जिस पर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ग) ऐसे नामनिर्देशन को कार्यालय प्रमुख की सुरक्षित अभिरक्षा में मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान के नामनिर्देशनों के साथ रखा जायगा।

(घ) अंशदाता के किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरण होने की दशा में उसका नामनिर्देशन भी सेवा पुस्तिका और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान के साथ उस कार्यालय प्रमुख को, जिसमें कि उसका स्थानांतरण हुआ है, अग्रेषित करेगा और सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक प्रविष्टि भी करेगा। पश्चात्वर्ती कार्यालय से नामनिर्देशन प्राप्ति की अभिस्वीकृतियां उस कार्यालय में, जहां से उसका स्थानांतरण हुआ है, कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में रखी जायेंगी।

(ङ) जब अंशदाता के खाते में जमा का अतिशेष उसके द्वारा नामित व्यक्ति को इन नियमों के अधीन देय हो जाय तो कार्यालय प्रमुख नामनिर्देशनों की एक अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आगामी सन्दर्भ हेतु रख कर अंतिम भुगतान के प्रार्थना पत्र के साथ मूल को लेखा अधिकारी की ओर भेजेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन, यदि कोई अंशदाता एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वह मनोनीत व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय राशि अथवा अंश इस तरह निर्दिष्ट करेगा कि किसी भी समय निधि में उसके नामें जमा सम्पूर्ण धनराशि का समायोजन हो जाये।

(3) नामनिर्देशन प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी एक प्रपत्र में होगा, जैसा कि परिस्थितियों के अनुरूप हो।

(4) अंशदाता किसी भी समय कार्यालय प्रमुख को लिखित में सूचना देकर नामनिर्देशन निरस्त कर सकता है:

परन्तु अंशदाता ऐसी सूचना के साथ इस नियम की शर्तों के अनुरूप एक नया नाम निर्देशन भेजेगा।

टिप्पणी- इस उपनियम का उपबंध इस उप नियम के अधीन नामनिर्देशन निरस्त करने की सूचना जो अभिदाता के द्वारा लिखित में दी गयी है, की वैधता की शर्त को संस्थापित नहीं करता है। यदि कोई नामनिर्देशन अभिदाता द्वारा सूचना देकर स्पष्ट तथा असंदिग्ध शर्तों में स्पष्ट रूप से निरस्त किया गया है, तथा यदि अभिदाता सूचना के साथ अथवा पृथक से सामान्य तौर पर एक नया नामनिर्देशन जो कि नियमों के अनुसार है, प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तथा अभिदाता की मृत्यु के कारण से सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि भुगतान हेतु देय हो जाती है, तो निधि के नियमों के अनुसार भुगतान इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे कि यदि वैध नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रश्न सं. [क्र. 4606] [17/3/2021]